कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086-265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/4531 दिनांकः– 02/11/22

–ःकार्यवाही विवरणः–

विषयः– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 06/2022 की बैठक (जोन पश्चिम) दिनांक 02.11.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–''1'' पर है।

एजेन्डा संख्या 01

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	चौपासनी	25/2	02.01.10 बीघा	होटल
आवेदक	सिद्धि विनायक होटलस् एण्ड होस्पिर्टलिटी जरिये भागीदार श्रीमती सविता माथुर पत्नी श्री सज्जनलाल माथुर				
विषयः–	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 25/2 रकबा 02.01.10 बीघा में होटल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुच मार्ग की चौडाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 15 मीटर में आ रही प्रार्थी की भूमि निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि के उत्तर पूर्व स्थित रास्ते का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 रखा जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 02

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	चौपासनी	25/6	02.05.10 बीघा	होटल
आवेदक	श्रीमती शोभा कंवर पत्नी श्री भैरूसिंह				
विषयः–	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 25/6 रकबा 02.05.10 बीघा में होटल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				

निर्णयः–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुच मार्ग की चौडाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 15 मीटर में आ रही प्रार्थी की भूमि निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि के उत्तर पूर्व स्थित रास्ते का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 रखा जावे। 3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबध मे राज्य सरकार के आदेश कमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व, जो भी अवधि कम हो, में हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 03

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	नारनाडी	802/195	02.01.00 बीघा	औद्योगिक

आवेदक	श्री श्रवणसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कानसिंह
विषयः–	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 802/195 रकबा 02.01.00 बीघा में औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	समिति द्वारा बैठक के दौरान निम्नलिखित तथ्यों को नोट किया गयाः– 1. आवेदित भूमि को रिको की औद्योगिक योजना से 60' का पहुँच मार्ग दर्शाया गया हैं पूर्व में उक्त रास्ते को पहुँच मार्ग दर्शाते हुए प्राधिकरण द्वारा अन्य पट्टा जारी हैं एवं मौके पर उद्योग संचालित हैं। 2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की योजना पूर्व में रिको का सेज था परन्तु वतर्मान में सेज की अधिसूचना रद्द की जा चुकी हैं एवं उक्त योजना सामान्य औद्योगिक योजना हैं। समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. आवेदित भूमि को रिको की योजना के 60' रास्ते को पहुँच मार्ग मानते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदन का निर्णय लिया गया हैं। मौके पर रिको द्वारा निर्मित बाउन्ड्री दीवार से पहुँच मार्ग उपलब्धता की जिम्मेवारी प्रार्थी स्वयं की रहेगी। 2. आवेदित भूमि पर केवल Non-Obnoxious Industries ही अनुज्ञेय होगी। अतः इस संबंध में आवेदक से आवेदित भूमि पर प्रस्तावित उपयोग/प्रयोजन बाबत शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 3. सुरक्षात्मक दृष्टि से आवेदित भूमि के चारों ओर न्यूनतम 9 मीटर सैटबेक का प्रावधान किया जावें।

निम्नलिखित

	4. आवेदित भूमि मे से मुख्य सड़क से लगते हुए 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें, उक्त सुविधा क्षैत्र का स्वामित्व प्राधिकरण का रहेगा। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	बुझावड	60	12.06.00 बीघा में से 2077.52 वर्गमीटर	*पेट्रोल पम्प*

आवेदक	श्री कुशालसिंह पुत्र श्री जोराराम जी
विषयः–	राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 60 रकबा 12.06.00 बीघा में से 2077.52 वर्गमीटर में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के 50 मीटर परिधि में स्थित निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की सुनिश्चितता उपायुक्त द्वारा की जावे। 3. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें। 4. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें। 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार सक्षम स्तर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 05

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	चौपासनी	171/48/2	00.16.03 बीघा	*व्यवसायिक*

आवेदक	श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री जीवनलाल जैन
विषयः–	राजस्व ग्राम चौपासीन के खसरा संख्या 171/48/2 रकबा 00.16.03 बीघा में व्यवसायिक एकल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में आवेदित भूमि जमाबंदी से अधिक है अतः अधिक भूमि बाबत् जोन उपायुक्त द्वारा जॉच की जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेन्डा संख्या 06

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	**पश्चिम**	गंगाणा	166, 166/1, 166/3 व 166/4	27.02.00 बीघा	*आवासीय*
आवेदक	श्रीमती अप्सरा जैन पत्नी श्री प्रकाश जैन, श्रीमती पिंकी जैन पत्नी श्री विक्रम जैन व श्री रजत जैन पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन				
विषयः–	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 166, 166/1, 166/3 व 166/4 रकबा 27.02.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 60 फीट रखते हुए सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 2. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना खसरा संख्या 185 से 40 फीट सडक लिंक हो रही है जिसे मानचित्र में निरन्तर रखा जावें। 3. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित 24 मीटर सड़क गुजर रही है, जिसे ले–आउट प्लान में दर्शाया जावें। 4. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर व 12 मीटर की सडके गुजर रही है जिनका क्षेत्रफल योजना के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16 प्रतिशत है एवम् योजना में से एच.टी. लाईन भी गुजर रही है अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.09.2021 के परिपेक्ष्य में सुविधा क्षेत्र में 5 प्रतिशत की छूट दी जावें तथा एच.टी. लाईन के सेफ्टी कोरिडोर की गणना ग्रीन/पार्क/खुले क्षेत्र में की जावें। 5. आवेदित भूमि मे से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान एवं एच.टी. लाईन के सहारे प्रस्तावित 12 मीटर सड़को को योजना से निरन्तर किया जावे एवं मौके पर निर्मित बाउड्री दिवार को हटाया जावे एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 8. आवेदित भूमि का रकबा 2 हेक्टयर से अधिक है अतः टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार कुल विक्रय योग्य आवासीय क्षेत्र का न्यूनतम 10 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस व एल. आई.जी.एस के भूखण्डो हेतु आरक्षित रखा जावें।				

	9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 07

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	गंगाणा	95, 257/98	04.01.00 बीघा	*आवासीय*

आवेदक	श्री किशनाराम पुत्र श्री माहनराम, श्रीमती तुलसी पत्नी श्री नारायणराम, श्री दुर्गाराम व पुखाराम पुत्रान् नारायणराम।
विषयः–	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 95, 257/98 रकबा 04.01.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर है अतः सडक मध्य से 15 मीटर में आ रही प्रार्थी की भूमि निशुल्क समर्पित करवायी जावें। सडक मार्गाधिकार के सहारे दर्शित वृक्षारोपण पट्टी को ले–आउट प्लान में दर्शाया जावें। 2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की राजस्व रिकोर्ड के परिपेक्ष में प्रार्थी की भूमि तक उपलब्धता की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। ले–आउट प्लान में उक्त क्षेत्र को पार्क/पलान्टेशन में दर्शाया गया है जिसे आवेदित भूमि में अन्यत्र दर्शाया जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 08

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	बडली	178 व 178/7	06.12.00 बीघा	*फार्म हाउस*
आवेदक	श्री किशनाराम पुत्र श्री बंशीलाल जी				
विषयः–	राजस्व ग्राम बडली के खसरा संख्या 178 व 178/7 रकबा 06.12.00 बीघा में *फार्म हाउस* प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर है अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि को निशुल्क समर्पित करवाया जावें। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.06.2012 के अनुसरण में एकल पट्टे की स्वीकृती हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें। उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पटटा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 09

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	चौपासनी	110/4	00.10.00 बीघा	*आवासीय*
आवेदक	श्री जेठाराम परिहार पुत्र श्री कपुरराम जी				
विषयः–	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 110/4 रकबा 00.10.00 बीघा में आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की पूर्व अनुमोदित योजना के परिप्रेक्ष्य में जॉच व आवेदित भूमि के पीछे स्थित अन्य भूमि को पहुँच मार्ग की उपलब्धता बाबत् जोन उपायुक्त से टिप्पणी प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**				

एजेन्डा संख्या 10

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	बडली	3/7	1575 वर्गमीटर	*पैट्रोल पम्प*

आवेदक	श्री प्रेमाराम पुत्र श्री अर्जुनराम
विषयः–	राजस्व ग्राम बडली के खसरा संख्या 3/7 रकबा 1575 वर्गमीटर में पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि व सड़क के मध्य स्थित भूमि का प्राधिकरण स्तर पर गठित भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के स्तर पर निर्णय उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेन्डा संख्या 11

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	तिवंरी	29	03.03.10 बीघा	*फार्म हाउस*

आवेदक	श्री हस्तीराम पुत्र श्री हीराराम जी
विषयः–	राजस्व ग्राम तिवंरी के खसरा संख्या 29 रकबा 03.03.10 बीघा में फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 60 फीट रखते हुए सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पटटा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 12

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	नारनाडी	918/209	1465 वर्गमीटर	औद्योगिक

आवेदक	श्री मुदित सेठिया पुत्र श्री प्रमोद सेठिया
विषयः—	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 918/209 रकबा 1465 वर्गमीटर में औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः—	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः—** 1. आवेदित भूमि को 60' का पहुँच मार्ग दर्शाया गया हैं जिसकी सुनिश्चतता जोन स्तर पर की जावे। 2. आवेदित भूमि पर केवल **Non-Obnoxious Industries** ही अनुज्ञेय होगी। अतः इस संबंध में आवेदक से आवेदित भूमि पर प्रस्तावित उपयोग/प्रयोजन बाबत शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश कमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व, जो भी अवधि कम हो, में हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 4. आवेदित भूमि मे से मुख्य सड़क से लगते हुए 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें, उक्त सुविधा क्षैत्र का स्वामित्व प्राधिकरण का रहेगा। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 13

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	गंगाणा	47/3	01.00.00 बीघा	आवासीय

आवेदक	श्री पुरखाराम पुत्र श्री जोगाराम जी
विषयः—	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 47/3 रकबा 01.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बावत्।
निर्णयः—	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की पूर्व अनुमोदित योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में जोन उपायुक्त द्वारा जॉच व टिप्पणी उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखेज जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेन्डा संख्या 14

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	नारनाडी	919/209	1465 वर्गमीटर	औद्योगिक

आवेदक	श्री जितेन्द्र कुमार जिरावाल पुत्र श्री पुखराज
विषयः—	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 919/209 रकबा 1465 वर्गमीटर में औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः—	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः—** 1. आवेदित भूमि को 60' का पहुँच मार्ग दर्शाया गया हैं जिसकी सुनिश्चतता जोन स्तर पर की जावे। 2. आवेदित भूमि पर केवल **Non-Obnoxious Industries** ही अनुज्ञेय होगी। अतः इस संबंध में आवेदक से आवेदित भूमि पर प्रस्तावित उपयोग/प्रयोजन बाबत शपथ—पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व, जो भी अवधि कम हो, में हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 4. आवेदित भूमि मे से मुख्य सड़क से लगते हुए 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें, उक्त सुविधा क्षैत्र का स्वामित्व प्राधिकरण का रहेगा। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 15

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	बडली	526/6, 526/13	1618 वर्गमीटर	पेट्रोल पम्प

आवेदक	श्री गिरधारी सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री चुन्नीलाल राजपुरोहित
विषयः—	राजस्व ग्राम बडली के खसरा संख्या 526/6, 526/13 रकबा 1618 वर्गमीटर में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः—	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः—** 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक की चौडाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें। 2. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें।

	3. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार सक्षम स्तर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 16

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	विष्णु की ढाणी	856/32	13.17.00 बीघा।	फार्म हाउस

आवेदक	श्री जगदीश पुत्र श्री तीलाराम जी
विषयः–	राजस्व ग्राम विष्णु की ढाणी के खसरा संख्या 856/32 रकबा 13.17.00 बीघा में फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में आवेदित भूमि जमाबंदी से अधिक है अतः अधिक भूमि बाबत् जोन उपायुक्त द्वारा जॉच की जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेन्डा संख्या 17

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	मोकलावास	336/3, 336/4, व 336/5	13.08.00 बीघा	फार्म हाउस

आवेदक	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री जवाहरलाल परिहार
विषयः–	राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 336/3, 336/4 व 336/5 रकबा 13.08.00 बीघा में फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बावत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित** किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. आवेदित भूमि तक उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई न्यूनतम 40' आरक्षित रखी जावे एवं उक्त सड़क को आगे तक निरन्तर किये जाने हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से आवश्यक भूमि निशुल्क समर्पित करवाया जावें। 2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में दर्शित ओ.सी.एफ. को सुविधा क्षैत्र दर्शाया जावे एवं उक्त सुविधा क्षैत्र का स्वामित्व प्राधिकरण का रहेगा। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.06.2012 के अनुसरण में एकल पट्टे की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें। उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।

	4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पटटा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 18

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
02.11.2022	पश्चिम	डोली	301, 301/1, 308, 309 व 309/306	33.05.12 बीघा	औद्योगिक (NON-POLLUTING ECO FRIENDLY)

आवेदक	हनुमान हैण्ड्रीकाफ्ट प्रा.लि जरिये डायरेक्टर अजय चौधरी पुत्र श्री भगवान सिंह चौधरी
विषयः–	राजस्व ग्राम डोली के खसरा संख्या 301, 301/1, 308, 309 व 309/306 रकबा 33.05.12 बीघा में औद्योगिक (NON- POLLUTING ECO FRIENDLY) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर–पाली रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 अनुसार 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 50' भूमि में से प्रार्थी की आवश्यक भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क का अंकन मानचित्र में किया जावे। 3. आवेदित भूमि पर केवल **Non-Polluting Eco Friendly Industries** ही अनुज्ञेय होगी। अतः इस संबंध में आवेदक से आवेदित भूमि पर प्रस्तावित उपयोग/प्रयोजन बाबत शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 4. सुरक्षात्मक दृष्टि से आवेदित भूमि के चारों ओर न्यूनतम 9 मीटर सैटबेक का प्रावधान किया जावें। 5. आवेदित भूमि मे से मुख्य सड़क से लगते हुए 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें, उक्त सुविधा क्षेत्र का स्वामित्व प्राधिकरण का रहेगा। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 19 :– (02.11.2022)

विषय :– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 05 / 2022 की बैठक (जोन पश्चिम) दिनांक 16.08.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

02/11/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांकः F37(3) / नि.आ. / बीपीसी(एल.पी.) / का.वि. / 2022 / 4531 to 35 दिनांकः– 02/11/22

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, (आयुक्त महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, (सचिव महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी / आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी / एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

02/11/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकर, जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 06 / 2022 वीं बैठक दिनांक 12.10.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री जयनारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री श्रवणसिंह राजावत उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
6.	श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

02/11/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर